वर्ष 6, अंक-15, जनवरी-मार्च, 2024

उद्योग संवाद

उ. म. शि. अनु. संस्थान
पटना

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

बिहार लघु उद्यमी योजना

प्रगति पथ पर बढ़ता बिहार
हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार

फोटो गैलरी

बिहार लघु उद्योग योजना के शुभारंभ के अवसर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। साथ में हैं बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार तथा उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री श्री सम्राट चौधरी का स्वागत उद्योग विभाग में किया गया। उन्होंने विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

ऊर्जा विभाग द्वारा पटना में आयोजित बिहार सोलर शो में संबंधित कम्पनियों को सोलर पैनल एवं अन्य उपकरणों के उत्पादन हेतु औद्योगिक इकाई बिहार में लगाने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें बिहार में उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं प्रोत्साहन के बारे में जानकारी दी गई।

वर्ष 6, अंक-15, जनवरी-मार्च, 2024

विषय सूची

उद्योग संवाद
त्रैमासिक

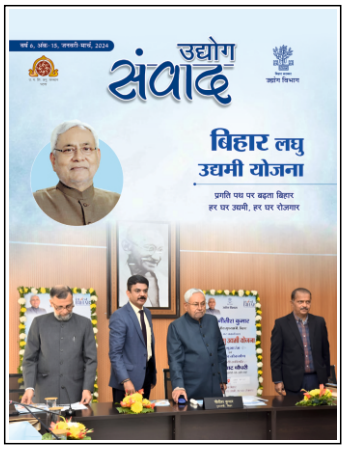

संरक्षक :
सम्राट चौधरी
उप मुख्यमंत्री–सह–उद्योग मंत्री, बिहार

प्रधान संपादक :
संदीप पौण्डरीक
अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

प्रबंध संपादक :
विवेक रंजन मैत्रेय
निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान

संपादक :
दिलीप कुमार
विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

कार्यकारी संपादक :
मनोज कुमार 'बच्चन'
manojkbachchan@gmail.com

संपादकीय संपर्क :
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान
पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 013
E-mail : udyogsamvadbihar@gmail.com

प्रिन्ट प्रोडक्शन
ज्ञान गंगा क्रियेशन्स

- बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ 02
- गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना 03
- बिहार लघु उद्यमी योजना की मार्गदर्शिका 04
- नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला राज्य बनेगा बिहार : सम्राट चौधरी 06
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 07
- बिहार स्टार्ट-अप पुरस्कार - 2024 11
- बिहार स्टार्ट-अप 13
- बिहार में है मजबूत स्टार्ट-अप इको सिस्टम : संदीप पौण्डरीक 17
- बिहार में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए बनाया 15 करोड़ का स्केल-अप फंड 18
- बेगूसराय में प्लास्टिक उद्योग की असीम संभावनाएँ 19
- खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में निर्यात की असीम संभावनाएँ : अपर मुख्य सचिव 20
- विद्युत कम्पनियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए किया गया प्रेरित 21
- बिहारी कलाकारों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका 22
- टिकुली कला को दी नई ऊँचाई 23
- कला साधक दंपति 24
- रेडिमेड वस्त्र निर्माण में बनायी पहचान 25
- गेट-ग्रिल उद्योग लगाकर 15 लोगों को दिया रोजगार 26
- झाड़ू लगाने वाले हाथ, बनाने लगे झाड़ू 27
- 14 मेलों के आयोजन से खादी संस्थाओं को मिला बेहतर बाजार 28

इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के हैं
इससे विभाग व सम्पादक-मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया पोर्टल का लोकार्पण

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया तथा बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का लोकार्पण दिनांक 05.02.2024 को किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार लघु उद्यमी योजना पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। विमोचन के उपरांत उद्योग विभाग के अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरूआत करने के लिये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमलोगों ने जाति आधारित गणना करवाई ताकि जाति के साथ-साथ हर किसी की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सके। सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे ताकि वे लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 'बिहार लघु उद्यमी योजना' लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। सभी जिलाधिकारियों को योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अलावा अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो उनकी भी पूरी मदद करें। हम आपलोगों से अनुरोध करेंगे कि हर जाति, धर्म के लोगों के बीच इस योजना को प्रचारित-प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन में जितना पैसा लगेगा, सरकार खर्च करेगी।

हमलोग अगले 5 वर्ष के लिये पहला टर्म शुरू कर रहे हैं। इस योजना के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिये आपलोग ठीक से कार्य करें। हम यही चाहते हैं कि सभी को मदद मिल जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिह्न देकर स्वागत किया। ज्ञातव्य है कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 'हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊँची उड़ान के लिए बिहार है तैयार' थीम के साथ की गई है। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है। जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाये गये।

बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार में लाभुक को 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। आज इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। इसके लिये 61 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिसमें छोटे-छोटे उद्यम को शामिल किया गया है। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रूपये से कम होनी चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि लाभुकों को दी जायेगी। योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान है जबकि जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।

कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री सम्राट चौधरी जुड़े हुए थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौन्ड्रिक, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव डॉ0 चंद्रशेखर सिंह, उद्योग विभाग के निदेशक श्री पंकज दीक्षित, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय, निदेशक तकनीकी विकास निदेशालय श्री विशाल राज सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी जुड़े हुए थे।

गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना

जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं।

जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरणी निम्न हैं:-

कोटि	कुल परिवारों की संख्या	गरीब परिवारों की संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	4328282	1085913	25.09%
पिछड़ा वर्ग	7473529	2477970	33.16%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	9884904	3319509	33.58%
अनुसूचित जाति	5472024	2349111	42.93%
अनुसूचित जनजाति	470256	200809	42.70%
कुल	27628995	9433312	34.14%

राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से **बिहार लघु उद्यमी योजना** लागू की गयी है।

योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250.00 करोड़ रूपये एवं 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1000.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा।

बजट : योजना के लिए प्रारंभ में कार्यान्यवन हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ एवं सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये, कुल 1,250.00 (एक हजार दो सौ पचास) करोड़ रूपये की राशि पर स्वीकृति दी गयी है। राज्य के सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। ◉

बिहार लघु उद्यमी योजना

मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिह्नित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रूपये तक की सहायता

ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल : https://udyami.bihar.gov.in

विकास पथ पर बढ़ता बिहार
हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार।

अर्हता -
- लाभुक की उम्र: 18 से 50 वर्ष के बीच
- बिहार राज्य का निवासी
- पारिवारिक आय: प्रतिमाह ₹6000 से कम

वांछित दस्तावेज -
- आधार कार्ड
- आयु सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र
- पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र

चयन प्रक्रिया -
- आवेदन की प्रक्रिया: ऑनलाइन
- चयन प्रक्रिया: कम्प्यूटरीकृत रैण्डमाइजेशन पद्धति
- निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन
- हर वर्ग के लिए समानुपातिक आधार पर चयन
- प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को ही लाभ
- प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अनुदान: अधिकतम रू० 2,00,000 (दो लाख रू०)
- राशि का भुगतान: 3 किस्तों में
- कुल चिह्नित परियोजनाएं: 61

अधिक जानकारी के लिए **18003456214** पर संपर्क करें
कार्यालय दिवस को सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

प्रथम वर्ष के लिए चयनित लाभुक : 50,000

बिहार लघु उद्यमी योजना की मार्गदर्शिका

जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं।

2. जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरणी निम्न प्रकार हैः-

कोटि	कुल परिवारों की संख्या	गरीब परिवारों की संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	4328282	1085913	25.09%
पिछड़ा वर्ग	7473529	2477970	33.16%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	9884904	3319509	33.58%
अनुसूचित जाति	5472024	2349111	42.93%
अनुसूचित जनजाति	470256	200809	42.70%
कुल	27628995	9433312	34.14%

3. सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। इसलिए आवश्यकता है गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाये ताकि इन गरीब परिवारों में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए।

4. अर्हता

योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हतायें निम्न प्रकार होगीः-

(1) आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(2) लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए।

(3) लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

(4) मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) हेतु पात्र नहीं होंगे अर्थात दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगा :-

(1) योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाईन आवेदन की माँग की जायेगी, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जायेगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन Computerised Randomisation (कम्पूटरीकृत रैण्डमाइजेशन) के माध्यम से किया जायेगा।

(3) उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जायेगा तथा 20 प्रतिशत आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन कंडिका-2 में दिये गये आंकड़ों के अनुपात में किया जायेगा।

(5) प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे।

(6) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिये अधिकतम रू0 2,00,000 (दो लाख रू0) की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। यह राशि 03 किस्तों में दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि दी जायेगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त की राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा

Toolkit/Machine क्रय के लिए प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5 प्रतिशत की दर से व्यय किया जायेगा।

6. योजना के अन्तर्गत अनुमान्य व्यवसाय राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि से अनुलग्नक-1 के अनुसार व्यवसाय किये जा सकेंगे। राज्य अनुश्रवण समिति सूची में परिवर्तन कर सकेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उस संबंध में राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

7. योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ रूपये एवं 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। राज्य स्तरीय लक्ष्य को जिलों में गरीब परिवारों की संख्या के अनुपात में जिला स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

8. योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु निर्धारित बजट शीर्ष से संबंधित लाभुकों के लिए किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्न प्रकार होंगी : -

(1)	**अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग**	**:**	**अध्यक्ष**
(2)	**वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी**	**:**	**सदस्य**
(3)	**ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी**	**:**	**सदस्य**
(4)	**श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी**	**:**	**सदस्य**
(5)	**उद्योग विभाग द्वारा नामित दो प्रतिनिधि**	**:**	**सदस्य**
(6)	**निदेशक, उद्योग अथवा निदेशक, तकनीकी विकास**	**:**	**सदस्य सचिव**

उक्त समिति द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संशोधन करने के लिए उक्त समिति सक्षम होंगी।

10. जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्न प्रकार होगीः-

(1)	**जिला पदाधिकारी**	**-**	**अध्यक्ष**
(2)	**उप विकास आयुक्त**	**-**	**सदस्य**
(3)	**जिला कल्याण पदाधिकारी**	**-**	**सदस्य**
(4)	**जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी**	**-**	**सदस्य**
(5)	**श्रम अधीक्षक**	**-**	**सदस्य**
(6)	**महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र**	**-**	**सदस्य सचिव**

इस समिति का कार्य योजना को सुचारू रूप से संचालित करना एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना तथा आने वाली कठिनाईयों को दूर करना होगा। ◉

बिहार लघु उद्यमी योजना के 50 हजार लाभुकों का किया गया चयन

नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला राज्य बनेगा बिहार : सम्राट चौधरी

उद्योग विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बिहार लघु उद्यमी योजना के 50 हजार लाभुकों का चयन कम्प्यूटरीकृत रेण्डमाइजेशन प्रणाली से किया गया। उप मुख्यमंत्री-सह-उद्योग मंत्री, श्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 12,568 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 936 अति पिछड़ा वर्ग के 17,730 पिछड़ा वर्ग के 13,038 एवं सामान्य वर्ग के 5,728 आवेदकों का चयन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगो को संबोधित करते हुए श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में जाति आधारित गणना में कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें परिवार की मासिक आय के आधार पर 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से "बिहार लघु उद्यमी योजना" लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिये अधिकतम रू. 2.00 लाख (दो लाख रूपये) की राशि अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। उन्होने कहा कि गरीबों को रोजगार देने हेतु यह एक अभिनव योजना है। सभी लाभुक अपना रोजगार करें और अपनी-अपनी आमदनी बढ़ायें। हमें बिहार को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बिहार बनाना है। ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। बड़े उद्योग भी लगाएंगे और छोटे उद्योग भी लगाएंगे। इससे बिहार आगे बढ़ेगा।

कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि इस योजना के लिए उद्योग विभाग का पोर्टल 5 फरवरी से 20 फरवरी, 2024 तक खोला गया जिस दौरान 2,02,013 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 61,494 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3,150 अति पिछड़ा वर्ग के 73,385 पिछड़ा वर्ग के 46,996 एवं सामान्य वर्ग के 16,988 आवेदन प्राप्त हुए। इन्हीं में से 50 हजार लाभुकों का चयन किया गया है और 10 हजार लाभुक प्रतिक्षा सूची में रखे गये हैं। उन्होने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू. 250.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 1,000.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पुरी पारदर्शिता का पालन करते हुए चयन समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में कम्प्यूटर द्वारा रेण्डमाइज तरीके से लाभुकों का चयन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित, तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक श्री विशाल राज, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय, उद्योग विभाग के विशेष सचिव श्री दिलीप कुमार एवं संयुक्त सचिव श्री योगेश कुमार सागर, उप उद्योग निदेशक श्री रंजन कुमार सिन्हा, सहायक उद्योग निदेशक श्री अजय कुमार दीक्षित एवं श्री प्रशांत कुमार आदि मौजूद रहे। ◉

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गुरू शिष्य परंपरा तथा अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है।

पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को विस्तारित करने में प्रारंभ से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनायी गयी है, जिसे 17 सितम्बर, 2023 को लागू किया गया। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए बनायी गयी है और इसके क्रियान्वयन हेतु 13 हजार करोड़ रूपये के वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत गुरू शिष्य परंपरा तथा अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। साथ ही कारीगारों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुँच घरेलू एवं वैश्विक बाजार तक करते हुए उनके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि ये कारीगर और शिल्पकार घरेलू एवं वैश्विक बाजार से जुड़ सके।

इस योजना को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।

योजना का उद्देश्य

- चिह्नित कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना।
- कारीगरों और शिल्पकारों के स्कील डेवलपमेन्ट के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।
- कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता, उत्पादकता और उनके उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।
- कारीगरों और शिल्पकारों को कोलेट्रल-फ्री कर्ज का लाभ दिलाने में सहायता करना तथा ब्याज प्रतिपूर्ति द्वारा कर्ज की लागत को कम करना।
- सभी विश्वकर्मा को डिजिटल सशक्तिकरण हेतु डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन देना।
- विकास के नये अवसर प्रदान करने के लिए कारीगरों और शिल्पकारों को ब्राण्ड प्रमोशन एवं मार्केट लिंकेज का प्लेटफॉर्म देना।

दृष्टिकोण

- कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान और सम्मान दिलाते हुए स्वरोजगार तथा स्मॉल स्केल उद्योग की स्थापना हेतु अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करना।
- असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कलाकारों और शिल्पकारों के काम को स्केलअप करना, उनके उपकरणों को आधुनिक और उन्नत बनाना तथा उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए सम्पूर्ण सहायता प्रदान करना।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से योजना को लागू करना।

- महिलाओं अथवा उपेक्षित वर्ग के लोगों अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, ट्रांसजेन्डर तथा पूर्वोत्तर राज्यों, द्विपीय क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना।
- कारीगरों और शिल्पकारों को बीमा, पेंशन तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करना (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना इत्यादि के लाभ कारीगरों और शिल्पकारों को दिलाना।)
- अलग-अलग स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए योजना का क्रियान्वयन।

योजना में चयनित ट्रेड

- परंपरागत तरीके से काम कर रहे कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रारंभिक चक्र में चयनित किये गये 18 ट्रेड्स/उद्योगों का विवरण इस प्रकार है -

लकड़ी आधारित उद्योग

1. कारपेन्टर
2. नाव निर्माता

लोहा, धातु तथा पत्थर आधारित उद्योग

3. पारंपरिक हथियार निर्माता
4. लोहार
5. हथौड़ा एवं टूलकिट निर्माता
6. ताला-चाभी निर्माता
7. मूर्तिकार तथा पत्थर मूर्तिकार एवं पत्थर तोड़ने वाले

सोना-चाँदी आधारित उद्योग

8. सोनार

मिट्टी आधारित उद्योग

9. कुम्हार

चमड़ा आधारित उद्योग

10. चर्मकार/जूता बनाने वाले/फुटवियर कलाकार

अन्य उद्योग

11. राजमिस्त्री
12. टोकरी/चटाई/झाड़ू/नारियल रेशा बुनकर
13. गुड़िया और खिलौना निर्माता
14. नाई
15. मालाकार
16. धोबी
17. दर्जी
18. फिशिंग नेट निर्माता

योजना के लिए पात्रता

- स्व-नियोजित या इच्छुक कारीगर और शिल्पकार जो योजना में चिह्नित 18 व्यापार में लगे हुए हैं।
- वैसे व्यक्ति जो या तो स्व-रोजगार कर रहे हैं या अपना उद्यम स्थापित करने का इच्छा रखते हैं।
- पंजीयन करते समय उम्र कम से कम 18 वर्ष हो।
- एक परिवार में केवल एक व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं।

- कोई भी व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना आदि जैसी किसी भी समान केन्द्रीय या राज्य योजनाओं का लाभ पिछले 5 वर्षों में नहीं लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा एवं स्व-निधि योजना के लाभुक के लिए जिन्होंने अपना ऋण स्वीकृति पूरी तरह से चुकता कर दिया हो, वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थी और उनका परिवार किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हो (परिवार का अर्थ पति, पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे)।

योजना के लाभ

- प्रमाणन (सर्टिफिकेशन)
- पंजीकृत लाभुकों का स्किल अपग्रेडेशन के लिए प्रयास
- टूलकिट हेतु अनुदान
- ऋण लेने में सहायता
- डिजिटल लेन-देन हेतु प्रोत्साहन
- मार्केटिंग सपोर्ट

प्रमाणन

- कारीगर और शिल्पकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पहचान पत्र प्राप्त करेंगे जिसपर यूनिक डिजिटल नम्बर अंकित रहेगा।

स्किल अपग्रेडेशन

- स्किल डेवलपमेन्ट से पहले, सभी पंजीकृत लाभार्थियों के कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रशिक्षण चयनित केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा।
- बुनियादी प्रशिक्षण लगभग 40 घंटे/5-7 दिनों का होगा।
- प्रशिक्षण के अंत में, एक उचित मूल्यांकन किया जाएगा और सफल उम्मीदवारों को NSQF (National Skill Qualifiction Framework) प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान रहने-खाने और आवासन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिदिन 500 रूपये की राशि प्रशिक्षण प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी।

एडवांस ट्रेनिंग

- चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों पर 15 दिन/120 घंटे या उससे अधिक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण के अंत में एक उचित मूल्यांकन किया जाएगा और सफल उम्मीदवारों को NSQF (National Skill Qualifiction Framework) प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान रहने - खाने और आवासन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिदिन 500 रूपये की राशि प्रशिक्षण प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी।

टूलकिट प्रोत्साहन

- बुनियादी प्रशिक्षण की शुरूआत में लाभार्थी को 15,000 रूपये टूलकिट के लिए प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को ई-रूपी/ई-वाउचर के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसका उपयोग बेहतर टूलकिट प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट केन्द्रों पर किया जा सकता है।

ऋण सहायता

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को कोलैट्रिक-फ्री 'उद्यम विकास ऋण' के रूप में

वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थी 5-7 दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण के पूरा होने पर पहले ऋण किश्त के लिए पात्र होगा और ऋण की दूसरी किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का लाभ उठाया है एवं ऋण चुकता ससमय कर दिया हो तथा अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन-देन को अपनाया हो।

किश्त	ऋण की राशि	चुकौती की अवधि
पहली किश्त	1,00,000 तक	18 महीने
दूसरी किश्त	2,00,000 तक	30 महीने

रियायती ब्याज और ब्याज अनुदान

- ऋण के लिए लाभार्थियों से ली जाने वाली ब्याज की रियायती दर 5 प्रतिशत होगा। भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान 8 प्रतिशत की सीमा तक होगा जो बैंकों को अग्रिम रूप से प्रदान की जाएगी।

डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन

- यह योजना डिजिटल ट्रांजीशन को बढ़ावा देने के लिए इंसेटिव प्रदान करती है। प्रति डिजिटल लेन-देन पर 1 रूपये (मासिक अधिकतम 100 लेन-देन) का इंसेटिव प्रदान किया जाएगा, जिसे Direct Benefit ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

मार्केटिंग सहायता

- लाभार्थी गुणवत्ता प्रमाणन सहायता के लिए पात्र होंगे जो उनके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा और मानक निर्धारित करेगा।
- ONDC, GEM PORTAL, KHADI INDIA, MSME MART एवं अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की सूची बनाना और उन्हें शामिल करना।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निबंधन में होने वाले व्यय में छूट के लिए पात्र होंगे।
- योजना के लाभुकों को व्यापार मेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाऐंगे।

पंजीकरण की प्रक्रिया

पंजीकरण सामान्य सेवा केन्द्रों (CSC) के माध्यम से आवेदन मांगकर या आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों की जाँच हेतु लाभार्थी को अपने आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। आवेदक दिए गए लिंक www.pmvishwakarma.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं।

सत्यापन और अनुमोदन

- लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए स्तरीय सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया है।

चरण - 1 (ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तर पर सत्यापन)

✓ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए स्क्रीनिंग का पहला कदम ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर कार्यकारी प्रमुख/प्रशासक के माध्यम से होगा।

चरण - 2 (जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जाँच और सिफारिश)

✓ जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जाँच और सिफारिश सत्यापन का दूसरा चरण जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा जो लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों की उचित जाँच और सिफारिश सुनिश्चित करेगी।

चरण - 3 (जाँच समिति द्वारा स्वीकृति)

✓ लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अंतिम मंजूरी एम.एस.एम.ई-डी.एफ.ओ. में स्क्रीनिंग समिति द्वारा जिला कार्यान्वयन समिति से की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद स्वीकृति दी जाएगी।

बिहार स्टार्ट-अप पुरस्कार - 2024

मेडिवाईजर प्रा. लि. को मिला बेस्ट स्टार्ट-अप ऑफ द ईयर का पुरस्कार, वेदप्रभा एयरो स्पेस को फर्स्ट रनर अप तथा बिरो पावर प्रा. लि. को सेकेण्ड रनर अप का खिताब

उद्योग विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्टार्ट-अप दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन में स्टार्ट-अप अवार्ड-2024 का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय, विशेष सचिव श्री दिलीप कुमार, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. राणा सिंह आदि ने किया। उद्घाटन सत्र में स्टार्ट-अप उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि हर शुरूआत छोटी होती है और लगातार प्रयास करते रहने से बड़ी सफलता हासिल होती है। उन्होंने कहा कि बड़े आइडिया को इम्पलीमेन्ट करने में कम से कम दस हजार घंटे का समय लगता है। जो लोग बिना हिम्मत हारे लगातार प्रयास करते हैं वे आसमान की ऊँचाईयों को छूते हैं।

कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ - कौन कहता है आसमाँ में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों के माध्यम से स्टार्ट-अप उद्यमियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। इस अवसर पर बताया गया कि बिहार में स्टार्ट-अप के इको सिस्टम के तेज विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। बिहार का इतिहास स्वर्णिम रहा है। जब हम तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो समस्याएँ आती हैं। हर समस्या का समाधान होता है। स्टार्ट-अप के क्षेत्र में हमने जो प्रभावशाली कदम उठाए हैं, उनकी बदौलत बिहार में 500 से अधिक स्टार्ट-अप खुल चुके हैं। एक समय था जब बिहार में स्टार्ट-अप की बात को मजाक माना जाता था। लेकिन हमने मिलकर प्रयास किया तो तस्वीर बदल गयी। लोगों की सोच बदल गई।

स्टार्ट-अप इको सिस्टम में बिहार लगातार बेहतर कर रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर आज बिहार को एंस्पायरिंग लीडर इन डेवलपिंग ए स्ट्रांग स्टार्ट-अप इको सिस्टम का राष्ट्रीय स्टार्ट-अप अवार्ड मिला है। हम सबको मिलकर बिहार को मजबूत बनाना है। बिहार की बुद्धि का देश में कोई जोर नहीं है। स्टार्ट-अप के क्षेत्र में जब आपलोग बढ़ेंगे तो बिहार बढ़ेगा। हम सब बढ़ेंगे। स्टार्ट-अप उद्यमियों को बताया गया कि लगातार काम करने से ही

बिहार को उद्योग के मामले में हर प्रकार का सम्मान मिल रहा है। पिछले साल एम.एस.एम.ई. का राष्ट्रीय पुरस्कार और फूड प्रोसेसिंग का राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार को मिला। इस साल स्टार्ट-अप अवार्ड मिला है। हम चाहते हैं कि बिहार में प्रारंभ हो रहे स्टार्ट-अप अपनी ग्लोबल पहचान बनाएँ और यहाँ के स्टार्ट-अप उद्यमी न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें बल्कि पूरी दुनिया में छा जाएँ।

इस अवसर पर बिहार स्टार्ट-अप द्वारा शानदार प्रदर्शन करने वाले बिहार स्टार्ट-अप कम्पनियों को अवार्ड भी दिया गया। मेडिवाईजर प्रा. लि. को बेस्ट स्टार्ट-अप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। कम्पनी के फाउण्डर नीरज कुमार झा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। वेदप्रभा एयरो स्पेस लि. को फर्स्ट रनर अप तथा बिरो पावर प्रा. लि. को सेकेण्ड रनर अप का पुरस्कार दिया गया। वेदप्रभा एयरो स्पेस के फाउण्डर मनीष दीक्षित और बिरो पावर के फाउण्डर रजनीश कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्ट-अप का पुरस्कार ग्रामश्री किसान प्रा. लि. को मिला, जिसकी फाउण्डर आस्था सिंह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बेस्ट स्टार्ट-अप का पुरस्कार एग्रीक्स एग्रोटेक के डॉ. निलय पाण्डेय को, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेस्ट स्टार्ट-अप का पुरस्कार गौद्रिका डिजिटल लेबर प्रा. लि. के चन्द्रशेखर मंडल को, ई-कॉमर्स के क्षेत्र में फ्लोएपिस के फाउण्डर प्रखर कुमार सिंह को, ई-व्हीकल के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव के फाउण्डर धीरज कुमार को और एडुटेक में स्कूल जी लिंक के हिमांशु अग्रवाल को पुरस्कृत किया गया।

फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में बेस्ट स्टार्ट-अप का अवार्ड गोरौल फूड्स एण्ड बेवरेज के सचिन कुमार को, हेल्थ टेक में बेस्ट स्टार्ट-अप का अवार्ड कोग्नोस्मेड लेबोरेट्रीज के अजय कुमार को और टेक्नोलॉजी एवं ड्रोन के क्षेत्र में बेस्ट स्टार्ट-अप का अवार्ड सर्व सुविधाएँ प्रा.लि. के अतुल आनन्द को दिया गया। राष्ट्रीय स्टार्ट-अप दिवस पर आयोजित तीन अलग-अलग सत्रों की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, पर्यटन एवं आई. टी. विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य संदीप तिवारी ने किया। सूचना प्रावैधिकी विभाग के विशेष सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. राणा सिंह, चाणक्या विधि विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन सेन्टर के डॉ. मो. सैफुला, इंडिया इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के इनक्यूबेशन सेन्टर के इन्चार्ज डॉ. जोसेफ अरकालन ने स्टार्ट-अप के संबंध में उपस्थित लोगों को विस्तार से बताया। निदेशक विवेक श्री रंजन मैत्रेय ने सभी उद्यमियों को बिहार स्टार्ट-अप नीति के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को स्टार्ट-अप नीति के बारे में जानकारी देने के लिये विभिन्न कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। ऐसे कार्यक्रम चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना, पटना कॉलेज, ए०एन० कॉलेज, पटना पुस्तक मेला सहित सभी 38 जिलों के पॉलिटेकनिक/तकनीकी संस्थानों में आयोजित किये गये हैं। इस पॉलिसी के तहत 10 वर्षों के लिए 10 लाख रूपये तक की ब्याज रहित सीड फंडिंग की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं द्वारा प्रारंभ स्टार्ट-अप को 5 प्रतिशत अधिक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दिव्यांगों के स्टार्ट-अप को 15 प्रतिशत अधिक राशि सीड फंड के रूप में देने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। एक्सीलेरेशन प्रोग्राम में भागीदारी के लिए 3 लाख रूपये तक के अनुदान का प्रावधान स्टार्ट-अप नीति में है। एन्जेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर कुल निवेश का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क और सेवी पंजीकृत कैटेगरी-1 तथा एन्जेल समूह से प्राप्त फंड के बराबर अधिकतम 50 लाख रूपये तक के मैचिंग लोन की व्यवस्था बिहार स्टार्ट-अप फंड से की जाती है। ◉

बीमार लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं

2022 में स्थापित हमारी कम्पनी इमरजेन्सी हेल्थकेयर सेवा को एक नये रूप में और नयी प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत कर रही है। हमने हनुमान केयर एम्बुलेन्स सेवा के माध्यम से समन्वित फ्लीट मैनेजमेन्ट सिस्टम अपनाया है और लोगों को रोड एम्बुलेन्स के साथ-साथ ट्रेन एम्बुलेन्स और एयर एम्बुलेन्स की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। 2024 में बिहार के बेस्ट स्टार्ट-अप का अवार्ड पाकर हम प्रसन्न हैं। इससे हमारी पहल को ताकत मिली है। हम अपने विजन का और ज्यादा विस्तार करने के लिए प्रेरित हुए हैं। बिहार में हजारों नये स्टार्ट-अप के उभरने और विकसित होने की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। हम उन सबको भी शुभकामनाएँ देते हैं।

नीरज झा

फाउण्डर, मेडिकवाईजर, विनर ऑफ बेस्ट स्टार्ट-अप ऑफ बिहार

बिहार में चलायेंगे एयर टैक्सी

मनीष दीक्षित

फाउण्डर, वेदप्रभा एयरो स्पेस

फर्स्ट रनर, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड ऑफ बिहार

ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सारी दुनिया में क्रांतिकारी काम हो रहे हैं। बिहार की पहली ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्ट-अप जब हमने खोला तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। लेकिन उसे हमने चुनौती के रूप में ली। हमारी कम्पनी अब ड्रोन आधारित सेवाएँ न सिर्फ बिहार में बल्कि आठ दूसरे राज्यों में भी उपलब्ध करा रही है। कम्पनी को यूनाईटेड फास्फोरस लि0 से 32 करोड़ रूपये का ड्रोन स्प्रे सर्विस प्रदान करने का काम प्राप्त हुआ है। हमारी कम्पनी का वैल्यू 100 करोड़ रूपये से अधिक का हो चुका है। हमारी कम्पनी में विश्वास करने के लिए हम बिहार स्टार्ट-अप टीम के प्रति कृतज्ञ हैं। हमारी कम्पनी एयर टैक्सी सेवा लॉन्च करने का इरादा भी रखती है।

2024 में लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक बाईक

हमने अपनी कम्पनी 2021 में प्रारंभ की और उस समय टर्नओवर 70 हजार रूपये का रहा। वहाँ से 2023 में 1.5 करोड़ रूपये का टर्नओवर करने में हमारी पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की। सबके प्रयासों और पूरी निष्ठा के साथ सोलह-सोलह घंटे काम करने का यह प्रतिफल है कि हमारी कम्पनी बिहार स्टार्ट-अप अवार्ड के लिए चुनी गई। हमने अपना कार्यालय बी-हब को-वर्किंग स्पेस मौर्यालोक कम्प्लेक्स में बनाया है जहाँ के बेहतर वातावरण में दूसरे स्टार्ट-अप के साथ काम करते हुए अच्छी स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिला। बिहार स्टार्ट-अप टीम ने फाइनेन्सियल हेल्प के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेन्ट में भी हमें सहयोग दिया। हम चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना तथा आई.आई.टी. पटना के इनक्यूबेशन सेन्टर के भी आभारी हैं कि उन्होंने हमें हर प्रकार का सहयोग दिया।

रजनीश कुमार

फाउण्डर, बिरो पावर

सेकण्ड रनर-अप, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड ऑफ बिहार

हर कदम पर किसानों के साथ है ग्रामश्री

ग्रामश्री किसान के माध्यम से हम पशुपालकों और मत्स्यपालकों को तकनीक आधारित वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान कर रहे हैं। विश्वसनीयता, निरंतर सहयोग, उचित दर पर हर सामग्री की उपलब्धता, मार्केट लिंकेज, मेडिकल सेवाएँ तथा उन्नत तकनीक के प्रयोग से हम किसानों के विश्वस्त सहयोगी बनने में कामयाब रहे हैं। बिहार स्टार्ट-अप और चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान से जो सहयोग हमें मिला है उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमें इंडिया काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फ्री-फ्लो वेंचर कैपिटल और यू.एस. कॉन्सुलेट से भी सहायता मिल चुकी है। सबके सहयोग से ही ग्रामश्री किसान का सफर आगे बढ़ रहा है।

आस्था सिंह

फाउण्डर, ग्रामश्री किसान, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड (महिला) ऑफ बिहार

श्रमिकों के लिए ऑनलाईन प्लेटफॉर्म है डिजिटल लेबर चौक।

गौद्रिका लेबर चौक श्रमिकों के काम ढूंढ़ने के लिए प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से देश के अन्दर के सभी श्रमिक प्रतिदिन अपना काम आसानी से ढूँढ सकते हैं। अभी तक इस प्लेटफार्म से लगभग दस हजार श्रमिक जुड़ चुके हैं। यह प्लेटफार्म श्रमिकों को अपने गृह जिला के आस-पास ही काम उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। यह प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए निःशुल्क है। गौद्रिका ने देश एवं विदेश के निवेशकों से वित्तीय निवेश प्राप्त किया है। चन्द्रशेखर का कहना है कि किसी भी उद्यमी को असफलता से हार नहीं माननी चाहिए। असफलता ही जीत की पहली पायदान है।

चन्द्रशेखर मंडल

फाउण्डर, गौद्रिका डिजिटल लेबर, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड (आई.टी.)

छोटे उद्यमियों एवं ट्रांसपोर्टरों को दे रहे हैं ताकत

2022 में आई.आई.टी, मुम्बई से पासआउट करने के बाद हमने अनीश के साथ मिलकर फ्लो एपिस कम्पनी की शुरूआत की। इस प्लेटफार्म के माध्यम से हम छोटे उद्यमी एवं ट्रांसपोर्टर को डिजिटल बनाने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स जैसी आधुनिक तकनीक की मदद ले रहे हैं। बिहार स्टार्ट-अप से हमें काफी सहयोग मिला है। बिहार स्टार्ट-अप अवार्ड-2024 मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। यह हमारी इरादों को और मजबूत बनायेगा।

प्रखर कुमार सिंह

फाउण्डर, फ्लो एपिस, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड (ई-कॉमर्स)

बिहार को बनायेंगे इलेक्ट्रिक हब

हम इलेक्ट्रिक वाहनों को सर्विस के रूप में लाकर एक नया बिजनेस मॉडल बना रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में बिहार इलेक्ट्रिक वाहनों का नया हब बन सकता है। हमने अपनी कम्पनी की शुरूआत 2022 में की और अभी तक स्वीगी, जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स कम्पनियों के साथ टाईअप कर लिया है। हमने 30 लोगों को रोजगार दिया है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। इस पुरस्कार के लिए हम उद्योग विभाग को शुक्रिया अदा करते हैं।

धीरज कुमार

फाउण्डर, इलेरिक ऑटोमोटिव, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड (इलेक्ट्रिक वाहन)

ग्रामीण विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से जगी है नयी उम्मीद

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में आधुनिक तकनीक आधारित स्मार्ट क्लासों का संचालन एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे स्टार्ट-अप ने इस चुनौती को स्वीकार किया और हमने बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनाने और उनके संचालन की जिम्मेदारी ली। अभी तक 120 स्कूलों के पचास हजार से अधिक विद्यार्थी स्कूगलिंक के माध्यम से बेहतर शिक्षा पा रहे हैं। बिहार के अलावा हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहे हैं।

हिमान्शु अग्रवाल

फाउण्डर, स्कूगलिंक, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड (एडुटेक)

बिहारी सत्तू को हमारे स्टार्ट-अप ने विश्व बाजार में पहुँचाया

सत्तू और लिट्टी हमारी विशेष पहचान रही है। 2017 में हमने सत्तू को रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थ के रूप में अलग-अलग स्वाद के साथ छोटे-छोटे पैकेट में लॉन्च किया जो सुपरहिट रहा। गरीबों का ड्रिंक माने जाने वाला सत्तू हमारे ब्रांड सत्तूज के साथ युवाओं की पहली पसंद बन गया। पेय पदार्थ के अलावा हम और भी परंपरागत स्नैक्स जैसे मखाना, लिट्टी, ठेकुआ इत्यादि की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग कर देश भर में सप्लाई कर रहे हैं। बिहार सरकार हमारे इस सफर में हमेशा साथ खड़ी रही है तथा वित्तीय सहायता के अलावा तकनीकी एवं मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रदान करती रही है।

सचिन कुमार

फाउण्डर, सत्तूज, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड (फूड प्रोसेसिंग)

आयुर्वेद के उपयोग से बना रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन

हम आयुर्वेद के ज्ञान का उपयोग करके नेचुरल सौंदर्य प्रसाधन जैसे साबुन, शैम्पू, ब्यूटी क्रीम इत्यादि का उत्पादन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है प्रकृति की शक्ति का इस्तेमाल करके मनुष्य की जीवन को आसान बनाना। हमारी लेबोरेटरी एन.ए.बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमें 2024 में बिहार स्टार्ट-अप अवार्ड (हेल्थ) से सम्मानित किया गया। हम इसके लिए उद्योग विभाग को धन्यवाद देते हैं।

अजय कुमार

फाउण्डर, कॉग्नोस्मेड लेबोरेट्रीज, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड (हेल्थ)

सफाई की तकनीकीकरण में मदद कर रहा है सर्व सुविधाएँ

हमारी स्टार्ट-अप सार्वजनिक स्थलों के साफ-सफाई को तकनीकीकरण के माध्यम से सुदृढ़ बना रही है। हम आई.ओ.टी तकनीक के इस्तेमाल से सफाई के ऑपरेशन एवं मॉनिटरिंग का समाधान प्रदान कर रहे हैं। यह पूरा प्रोसेस रियल टाईम बेस्ड सिस्टम पर आधारित है। हमारी स्टार्ट-अप वर्तमान में बिहार के कई रेलवे स्टेशनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सेवा प्रदान कर रही है। स्टार्ट-अप बिहार से हमें न केवल आगे बढ़ने का सहारा मिला बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का अनुभव भी प्राप्त हुआ।

अतुल आनन्द

फाउण्डर, सर्व सुविधाएँ, बेस्ट स्टार्ट-अप अवार्ड (आई.ओ.टी.)

बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी, 2022

पात्रता की शर्तें

- उद्यम 10 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं हो
- उद्यम का वार्षिक टर्नओवर किसी भी वर्ष में 100 करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो।
- उद्यम प्रोडक्ट, प्रक्रिया अथवा सेवा के विकास, आविष्कार या सुधार से संबंधित हो अथवा रोजगार सृजन या आर्थिक सम्पदा निर्माण की उच्च मापनीय क्षमता वाला हो।
- स्टार्ट-अप का निबंधन और कार्यालय बिहार में होना चाहिए।
- कंपनी की गतिविधियों पर लागू कर का भुगतान बिहार में होना चाहिए।
- पुरानी कंपनी की पुनर्संरचना अथवा विभाजन से निर्मित कंपनी को स्टार्ट-अप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

योजना के लाभ

- स्टार्ट-अप को 10 लाख रू. तक का 10 साल के लिए ब्याज मुक्त सीड फंड
- महिला उद्यमी के स्टार्ट-अप को 5 प्रतिशत तथा SC/ST/दिव्यागों के स्टार्ट-अप को 15 प्रतिशत अतिरिक्त फंडिंग।
- एक्सीलेरेशन प्रोग्राम (Rigorous Training for Product Enhancement & Funding) में भागीदारी के लिए 3 लाख रू. तक का अनुदान
- एंजेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर निवेश का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क (Success Fees)
- स्टार्ट-अप कंपनी को SEBI Registered Category-I AIFs तथा एंजेल समूह से फंड प्राप्त होने पर अतिरिक्त फंड के रूप में बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट से मैचिंग लोन ।

कॉमन फैसिलिटी

- को-वर्किंग स्पेस
- कॉमन शोध और विकास लैब, कॉन्फ्रेंस रूम इत्यादि।
- हाई इन्ड प्रिंटर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की सुविधा।
- कॉमन टेस्टिंग लैब और टूल रूम।
- विधि, लेखा, टेक्नोलॉजी, पेटेंट, निवेश एवं बैंकिंग की सामान्य सुविधा।
- स्टार्ट-अप और इन्क्यूबेशन के लिए कम्यूनिटी, इवेन्ट तथा प्रोमोशनल सपोर्ट।
- गोदाम, संग्रहण केन्द्र तथा क्वालिटी एश्योरेंस लैब की सुविधा।

STARTUP BIHAR

- कुल पंजीकृत स्टार्ट-अप : **574**
- स्वीकृत सीडफंड : **58.89** करोड़ रूपये

ज्ञान भवन में स्टार्ट-अप कार्यशाला

बिहार में है मजबूत स्टार्ट-अप इको सिस्टम : संदीप पौण्डरीक

उद्योग विभाग स्टार्ट-अप टीम द्वारा पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने किया। उद्घाटन सत्र में बिहार के स्टार्ट-अप उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बिहार में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए विभागीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गये हैं। हम स्टार्ट-अप इकाइयों की मदद इस तरह से करना चाहते हैं कि बिहार के स्टार्ट-अप अपनी ग्लोबल पहचान बनाएँ और यहाँ के स्टार्ट-अप उद्यमी न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप बिहार द्वारा आयोजित कार्यशाला में अनेक सफल स्टार्ट-अप उद्यमियों के साथ संवाद करने से अनुभव प्राप्त होता है। दूसरे के अनुभवों से सीख कर हम सफलता की सीढ़ियाँ तेज गति से चढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा सपनों को पंख लगाने तथा उन्हें उड़ान भरने के लिए खुला आसमान देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 बनायी है। इस नीति के तहत लाभ पाने वाले उद्यमियों को को-वर्किंग स्पेस उपलब्ध कराने के लिए पटना में दो स्थानों-मौर्यालोक और वित्त निगम भवन, फ्रेजर रोड में बी-हब बनाया गया है जिसमें मौर्यालोक स्थित बी-हब बन कर तैयार है। बी-हब में सीटों के आवंटन हेतु बिहार स्टार्ट-अप के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है और सीटों का आवंटन अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। बी-हब में स्थायी सीटों का मासिक किराया 1500 रू., परिवर्तनशील सीटों के लिए मासिक किराया 1000 रू० तथा दैनिक आधार पर 100 रू. प्रतिदिन के आधार पर सीट आवंटित किये जाते हैं। मौर्यालोक बी-हब में कुल 185 सीटों की व्यवस्था की गयी है। साथ ही एक कॉंफ्रेंस हॉल भी है जिससे लगभग 500 स्टार्ट-अप उद्यमियों को लाभ होगा।

कार्यक्रम में उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित ने कहा कि बिहार के युवाओं को स्टार्ट-अप नीति के बारे में जानकारी देने के लिये विभिन्न कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। ऐसे कार्यक्रम चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना, पटना कॉलेज, ए०एन० कॉलेज, पटना पुस्तक मेला सहित सभी 38 जिलों के पॉलिटेकनिक / तकनीकी संस्थानों में आयोजित किये गये हैं। सभी जिलों में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेन्टर खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की स्टार्ट-अप पॉलिसी के तहत 10 वर्षों

के लिए 10 लाख रूपये तक की ब्याज रहित सीड फंडिंग की व्यवस्था की गई है। महिलाओं द्वारा प्रारंभ स्टार्ट-अप को 5 प्रतिशत अधिक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दिव्यांगों के स्टार्ट-अप को 15 प्रतिशत अधिक राशि सीड फंड के रूप में देने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। एक्सीलेरेशन प्रोग्राम में भागीदारी के लिए 3 लाख रूपये तक के अनुदान का प्रावधान स्टार्ट-अप नीति में है। एन्जेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर कुल निवेश का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क और सेवी पंजीकृत कैटेगरी-1 तथा एन्जेल समूह से प्राप्त फंड के बराबर अधिकतम 50 लाख रूपये तक के मैचिंग लोन की व्यवस्था बिहार स्टार्ट-अप फंड से की जाती है। उद्योग विभाग के प्रयासों से बिहार में स्टार्ट-अप का माहौल बन चुका है। केन्द्र सरकार की स्टार्ट-अप इको सिस्टम रैंकिंग में एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी-'ए' में बिहार को टॉप पोजिशन पर रखा गया है। यह विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सतत प्रयास और सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय, निदेशक, तकनीकी विकास श्री विशाल राज, विशेष सचिव श्री दिलीप कुमार, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. राणा सिंह, केरल के श्री डी.सी. मैट स्टार्ट-अप के डॉ. जयशंकर प्रसाद, मेडिकैड इथोज प्रा. लि. केरल की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विंग कमाण्डर रागश्री डी. नायर, पी.एस.जी.स्टेप, कोयम्बटूर के कार्यकारी निदेशक डॉ. के. सुरेश कुमार, स्टार्ट-अप 360 बेंगलुरू के को-फाउण्डर अशोक जी. एवं केरला राज्य इन्क्यूबेशन हेड के विशाल बी. कदम आदि ने स्टार्ट-अप की विविध पहलुओं के संबंध में युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। ◉

स्टार्ट-अप बिहार एवं सिडबी ने मिलाया हाथ

बिहार में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए बनाया 150 करोड़ का स्केल-अप फंड

बिहार स्टार्ट-अप स्केल-अप फाईनेंसिंग फंड में सिडबी का अंशदान 100 करोड़ रुपये एवं स्टार्ट-अप बिहार का अंशदान 50 करोड़ रुपये रहेगा।

बिहार की स्टार्ट-अप इकाइयों को स्केल-अप फंडिंग प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप बिहार ने सिडबी के साथ हाथ मिलाया है। इसके लिए 150 करोड़ रुपये के बिहार स्टार्ट-अप स्केल-अप फाईनेंसिंग फंड की स्थापना संबंधी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें सिडबी का अंशदान 100 करोड़ रुपये एवं स्टार्ट-अप बिहार का अंशदान 50 करोड़ रुपये होगा। उप मुख्यमंत्री-सह-उद्योग मंत्री सम्राट चौधरी एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक की उपस्थिति में समझौता पत्र पर स्टार्ट-अप बिहार की और से उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित तथा सिडबी की ओर जेनरल मैनेजर अरिजीत दत्त ने हस्ताक्षर किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री-सह-उद्योग मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार देश के विकासशील राज्यों में से एक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बिहार दृढ़ संकल्प के साथ एक मजबूत राज्य बनकर उभरा है। उद्योग विभाग द्वारा स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्टार्ट-अप नीति, 2022 के तहत स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, पिचिंग और फंडिंग के लिये चयन प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाता है जो प्रशंसनीय है। अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने इस अवसर कहा कि बिहार स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत लाभुकों को दस लाख रूपये तक सीड फंड की राशि देने का प्रावधान है। यह राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाती है, जिसे 10 वर्षों के उपरान्त लौटाना होता है। साथ ही महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये महिला उद्यमियों को निर्धारित सीमा से 5 प्रतिशत अतिरिक्त फंडिग का लाभ दिया जाता है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग उद्यमियों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त फंडिंग का लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में पंजीकृत स्टार्ट-अप यदि एंजेल इन्वेस्टर अथवा सेबी रजिस्टर्ड निवेशकों से निवेश लेने में सफल होते हैं तो उन्हें 2 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि तथा निवेशित राशि का अधिकतम 50 लाख रूपये तक का मैचिंग फण्ड दिया जाता है।

सिडबी के साथ समझौता हो जाने से बिहार का स्टार्ट-अप ईको-सिस्टम और मजबूत होगा। मौके पर उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित ने जानकारी दी कि बिहार स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत कुल 585 स्टार्ट-अप्स को चयनित किया जा चुका है, और इन्हें सीड फण्ड के रूप में 58.50 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। विभाग द्वारा 31 करोड़ 38 लाख रूपये इन स्टार्ट-अप्स को सीड फंड (ऋण राशि) के रूप में वितरित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार के लगभग सभी जिलों से स्टार्ट-अप का चयन किया गया है। ये स्टार्ट-अप आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, लेखन एवं पत्रकारिता, कृषि, कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा-तकनीकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं।

उद्योग निदेशक ने बताया कि नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के द्वारा स्टार्ट-अप बिहार के सहयोग से पी0जी0डी0एम0 पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। स्टार्ट-अप बिहार द्वारा विद्यार्थियों एवं युवाओं के बीच उद्यमिता एवं स्टार्ट-अप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये राज्य भर में विभिन्न महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम यथा- स्टार्ट-अप ऑउटरीच कार्यक्रम, आईडियाथॉन, हैकथॉन आदि का आयोजन किया जाता है। राज्य भर में विभिन्न महाविद्यालयों, अभियंत्रण महाविद्यालयों, संस्थानों एवं तकनीकी संस्थानों में 43 स्टार्ट-अप सेल की स्थापना की जा चुकी है तथा 7 नये स्टार्ट-अप सेल का गठन प्रक्रियाधीन है। ◉

प्लास्टिक सेक्टर इन्वेस्टर्स मीट

बेगूसराय में प्लास्टिक उद्योग की असीम संभावनाएं

उद्योग विभाग के इन्वेस्ट बिहार तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरौनी रिफाइनरी द्वारा प्लास्टिक उद्योग में निवेश की संभावनाओं के बारे में जानकारी देने हेतु बेगूसराय में पी पी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक तथा बरौनी रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक-सह-रिफाइनरी प्रमुख ए स साहनी ने किया। इन्वेस्टर्स मीट में विभिन्न वक्ताओं ने बेगूसराय और आसपास के क्षेत्र में प्लास्टिक उद्योग लगाने संबंधी सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की।

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बरौनी रिफाइनरी और उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सम्मिलित प्रयास से आयोजित इस इन्वेस्टर्स मीट से उद्यमियों को काफी लाभ होगा। केंद्र सरकार द्वारा बरौनी रिफाइनरी के विस्तार का फैसला लिया गया है जिससे इस रिफाइनरी की क्षमता 6 एमएमटीपीए से बढ़कर 9 एमएमटीपीए हो जाएगी। बरौनी रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाश्लीन का उत्पादन किया जाएगा जिससे बेगूसराय में प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार प्लास्टिक का एक बड़ा बाजार है लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक उद्योग अभी विकासशील अवस्था में नहीं है। बिहार और आसपास के राज्यों के मार्केट में प्लास्टिक की जितनी डिमांड है, उसके हिसाब से यहां उत्पादन न के बराबर है। मार्केट की डिमांड के हिसाब से यहाँ नए उद्योग लगाए जाने चाहिए। प्लास्टिक उद्योग लगाने के लिए कच्चे माल की प्राप्ति बरौनी रिफायनरी से हो जाएगी। इसके अलावा बरौनी रिफाइनरी की विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्लास्टिक उद्यमियों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी।

इन्वेस्टर्स मीट में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने उद्योग विभाग की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि बिहार में प्लास्टिक उद्योग की अपार संभावनाएँ हैं। इस उद्योग के लिए कच्चा माल, कुशल श्रम और विशाल मार्केट बिहार में उपलब्ध है। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए भूमिका आवंटन बियाडा द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत ब्याज प्रतिपूर्ति, जीएसटी में छूट, लैंड रजिस्ट्रेशन और भूमि सम परिवर्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पेट्रोकेमिकल विंग के ईस्ट जोन प्रमुख श्री मनोज कुमार झा ने बिहार में प्लास्टिक क्षेत्र की बढ़ती मांग पर प्रस्तुति दी और बताया कि जो भी उद्यमी प्लास्टिक क्षेत्र में निवेश करेंगे उन्हें निश्चित रूप से फायदा होगा। बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक सत्य प्रकाश ने कहा कि बीआर 9 परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ जाएगी। पॉलीप्रोपाश्लीन उत्पादन से इस क्षेत्र में प्लास्टिक उद्योग की स्थापना सरल होगी और बेगूसराय पहले पेट्रोकेमिकल कंपलेक्स बन जाएगा जो डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक उद्योगों और सहायक प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से इस क्षेत्र में सामाजिक विकास के नए युग का संवाहक बनेगा। इन्वेस्टर्स मीट में उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित, हस्तकरवा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय, उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव श्री योगेश कुमार सागर आदि भी उपस्थित रहे।◉

निर्यात प्रोत्साहन पर कार्यशाला

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में निर्यात की असीम संभावनाएँ : अपर मुख्य सचिव

सिकन्दरपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, बिहटा में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय तथा बियाडा द्वारा 16 फरवरी 2024 को बिहार से खाद्य प्रक्षेत्र के उत्पादों की निर्यात के अवसरों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 170 से अधिक लोगो ने भाग लिया। भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में निर्यातक, किसान उत्पादक संघ के सदस्य, स्टार्ट-अप एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के अधिकारी शामिल रहे। तकनीकी सत्र में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बिहार देश के प्रमुख कृषि राज्यों में एक है। मखाना, लीची, आम, मक्का, मशरूम सहित अनेक कृषि उत्पादों के उत्पादन में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

विश्व का लगभग 90 प्रतिशत मखाना बिहार में उत्पादित होता है। इसके बावजूद खाद्य प्रसंस्करण के मामले में बिहार अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएँ चलायी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रोसेस्ड फूड के निर्यात के मामले में भी बिहार बेहतर स्थिति में अभी नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं।

आप सभी भी आगे आइये। विभाग द्वारा बिहटा में ई-रेडिएशन फैसिलिटी एवं इन्टीग्रेटेड पैक हाउस निर्माणाधीन है। इसकी मदद से लीची, आम, मशरूम जैसे उत्पादों के लाईफ को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस सुविधा का लाभ उठाकर यदि बिहार के निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो सबके लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने कहा कि अगर कार्यशाला की वजह से 20 नए निर्यातक निर्यात व्यवसाय से जुड़ते हैं तो कार्यशाला सफल सिद्ध होगी।

कार्यशाला में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निदेशक डॉ. योगेश कुमार सागर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य निर्यात की असीम संभावनाएँ हैं। सरकार सुविधाओं में लगातार वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निर्यात संवर्धन करने पर कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य बिहार में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ बिहार राज्य से फल और सब्जियों एवं डी.डी.जी.एस. तथा अन्य पशु आहार और मेडिकल एवं सर्जिकल उपकरणों के निर्यातक के रूप में स्थापित करना है।

तकनीकी सत्र में भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के वैज्ञानिक डॉ. के. चट्टोपाध्याय ने ई-रेडिएशन की नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए टमाटर एवं अन्य सब्जियों के निर्यात की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। एग्रीक्लचर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी (अपेडा), वाराणसी के प्रबंधक आनंद कुमार ने कहा कि अपेडा निर्यातकों एवं इच्छुक उद्यमियों को निर्यात में मदद करता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर, मुम्बई के वैज्ञानिक डॉ. सत्येन्द्र गौतम ने ई-रेडिएशन का इस्तेमाल कर मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के निर्यात एवं व्यापार संवर्धन के बारे में बताया। एक्पोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, कोलकाता के प्रबंधक प्रवीण कुमार ने निर्यात से जुडी क्रेडिट गारंटी के बारे में चर्चा की।

कार्यक्रम में उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय तथा तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक विशाल राज भी उपस्थित रहे।

ऊर्जा निवेश बिहार राउंड टेबल

विद्युत कम्पनियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए किया गया प्रेरित

बिजली डिस्ट्रीब्यूशन एवं ट्रांसमिशन तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आये हैं तथा नवीन तकनीक पर निर्भरता बढ़ी है। ऐसे में जो कम्पनियाँ राज्य में विद्युत ऊर्जा वितरण तथा संलग्न कार्यों में लगी हुई हैं, उनका दायित्व है कि वे राज्य में निवेश करें।

विद्युत ऊर्जा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत उपकरण निर्माण करने वाली कम्पनियों को बिहार राज्य में उत्पादन और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा निवेश नामक बिहार राउण्डटेबुल का आयोजन किया गया जिसमें विद्युत उपकरणों का निर्माण करने वाली अनेक बड़ी कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

विद्युत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के ऊर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन एवं ट्रांसमिशन तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आये हैं तथा नवीन तकनीक पर निर्भरता बढ़ी है। ऐसे में जो कम्पनियाँ राज्य में विद्युत ऊर्जा वितरण तथा संलग्न कार्यों में लगी हुई हैं, उनका दायित्व है कि वे राज्य में निवेश करें। राज्य सरकार की ओर से उन्हें संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने की असीम संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल आधारभूत संरचना मुहैया करा रही है। इसलिए बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्ध अवसर का निवेशक लाभ उठाएँ और निवेश करें।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने ऊर्जा निवेश कार्यक्रम में कहा कि बिहार में खासकर बिजली के क्षेत्र में सामान बाहर से बनकर आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अब कम्पनियाँ बिहार में ही विद्युत उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग करे। आपसी संवाद के माध्यम से उद्योगों के लिए बेहतरीन माहौल तैयार करना हमारी प्राथमिकता है। बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत बिहार में लगाये जाने वाले नये उद्योगों को अनेक प्रकार की रियायतें और अनुदान प्रदान किये जाते हैं। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव हंस ने कहा कि राज्य में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए समर्पित फीडर बनाये गये हैं। सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली संबंधित सभी

सुविधाओं को ऑनलाईन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर नये कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इसके अलावा वितरण कम्पनियों ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए बिलिंग और राजस्व प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगले पाँच सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में 49 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर काम होना है। इसमें सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं पर 23,886 करोड़ विद्युत वितरण से संबंधित परियोजनाओं पर 8800 करोड़ और ट्रांसफार्मर एवं स्मार्ट मीटर लगाये जाने संबंधी परियोजनाओं पर 17,191 करोड़ का काम किया जाना है। ऊर्जा निवेश मीट में बिहार विद्युत पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण उद्योग में कार्यरत मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मीट में अडानी पावर, सिक्योर मीटर्स, जीनस पावर, इंटेलिस्मार्ट, कार्बन इंडिया लिमिटेड, लेजर पावर एण्ड इंफ्रा प्रा. लि., टाटा पावर समेत कुल 70 कम्पनियों ने भाग लिया।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान

बिहारी कलाकारों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका

उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान बिहार के लोक कलाकारों का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। संस्थान द्वारा कलाकारों को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाता है। इस संस्थान से जुड़े कलाकार देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा चुके हैं। मिथिला कला तथा बिहार की अन्य कला विधाओं में योगदान देने के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के अनेक कलाकार पद्मश्री जैसे अतिविशिष्ट सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। मधुबनी पेंटिंग के उत्थान में भी संस्थान से जुड़े कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में बौआ देवी और दुलारी देवी सहित मधुबनी पेंटिंग के लगभग सभी महत्वपूर्ण कलाकारों ने संस्थान से जुड़कर इसके निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षिका के रूप में योगदान दिया है। बिहार के मिथिला की महिलाएँ प्राचीन काल से ही पर्व - त्योहारों तथा सामाजिक उत्सवों के अवसर पर प्रकृति-प्रदत्त रंगो के माध्यम से घर-आँगन और दीवारों पर चित्रांकन करती आ रही है। वर्तमान में मिथिला चित्रकला में अब तक 7 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इसी कड़ी में 2 नए नाम जुड़े है, इस साल मिथिला चित्रकला के क्षेत्र में योगदान हेतु शिवन पासवान (2024) और शांति देवी (2024) को पद्मश्री सम्मान तथा टिकुली आर्ट में योगदान के लिए अशोक विश्वास को पद्मश्री सम्मान दिया गया है।

मिथिला चित्रकला में पहली बार पद्मश्री सम्मान पाने वाली जगदम्बा देवी जानी जाती हैं।

बौआ देवी की चित्रकला 2015 में हैनेवर के मेयर स्टेफेन सॉसटॉक को उनकी भारत यात्रा पर उपहार में दी गई।

सीता देवी मिथिला चित्रकला की प्रख्यात एवं लोकप्रिय कलाकार थी, वह भारत के सबसे प्रसिद्ध मधुबनी कलाकारों में से एक थी।

गोदावरी दत्ता ने सरकारी योजना सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के तहत शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों को भी प्रशिक्षित किया है।

गंगा देवी ने दिल्ली के शिल्प संग्रहालय में प्रसिद्ध भित्ति कोहबर घर या दुल्हन के विवाह कक्ष को चित्रित किया।

महासुंदरी देवी के चित्रों में रामायण प्रसंग, राधा-कृष्ण ,की लीलाएं और डोली की चित्रकारी अत्यधिक प्रसिद्ध है।

पद्मश्री दुलारी देवी ने मधुबनी पेंटिंग को नया आयाम दिया। उनकी आत्मकथा फॉलोइंग माय पेंट ब्रश शीर्षक से प्रकाशित है।

सुभद्रा देवी ने पेपरमेशी आर्ट को मधुबनी पेंटिंग से जोड़ते हुए इस कला से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम किया।

पद्मश्री अशोक कुमार विस्वास

टिकुली कला को दी नई ऊँचाई

अशोक कुमार विस्वास ने लगभग मौर्य कालीन इस पुरानी बिहार की टिकुली कला को पुनर्जीवित किया और भारत की नहीं बल्कि विश्व में पहचान दिलाई। 67 साल के अशोक कुमार विस्वास को पद्मश्री पुरस्कार मिला है।

अशोक कुमार विस्वास ने टिकुली कला को अपनी अद्वितीय रूपरेखा और रंगों के प्रयोग के माध्यम से नया जीवन दिया है। उनके चित्रों में वे दिलचस्प और अनूठे आयामों को शामिल करते हैं, जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने अपने कला कौशल के माध्यम से गांव की संस्कृति, परंपरा, और लोककला को समर्थन और प्रोत्साहन दिया है। उनके द्वारा प्रदर्शित की गई टिकुली कला के कार्य उनके अद्वितीय स्वभाव और विशेष कौशल का प्रतिबिम्ब हैं।

अशोक कुमार विस्वास ने लगभग मौर्य कालीन इस पुरानी बिहार की टिकुली कला को पुनर्जीवित किया और भारत की नहीं बल्कि विश्व में पहचान दिलाई। 67 साल के अशोक कुमार विस्वास को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनको टिकुली कला का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने अबतक करीब 8000 महिलाओं को फ्री ट्रेनिंग दी है। इनके नौ स्टूडेंट्स ऐसे है, जो कि राज्य स्तर पर पुरस्कार पा चुके हैं, साथ ही खुद हजारों कलाकृतियां बना चुके हैं।

अशोक कुमार ने पिछले पांच दशकों से मौर्य कालीन की इस पुरानी बिहार की टिकुली कला को पुनर्जीवित किया और भारत की नहीं बल्कि विश्व में पहचान दिलाई। टिकुली आर्ट को बचाने के लिए रुके नहीं है बल्कि लगातार इस पर काम करते जा रहे हैं। अशोक कुमार कई कॉलेजों और अलग अलग संस्थानों में जाकर टिकुली कला से नई पीढ़ी को रूबरू करवाते हैं।

अशोक कुमार टिकुली आर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं. इसको लेकर विश्व भर के कई मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। उनकी बनाई टिकुली पेंटिंग करीब पांच देशों के 100 से भी ज्यादा प्रदर्शनी का हिस्सा बन चुकी है। यह कारवाँ अभी थमा नहीं है और लगातार जारी है। 1950 में प्रसिद्ध कलाकार उपेन्द्र महारथी ने इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन 1981 में उनके निधन के बाद कलाकार अशोक कुमार विस्वास ने यह प्रयास जारी रखा। पूरी इमानदारी से इस काम में जुटे हुए हैं। टिकुली कला बिहार की बेहतरीन शिल्प-कलाओं में से एक है।

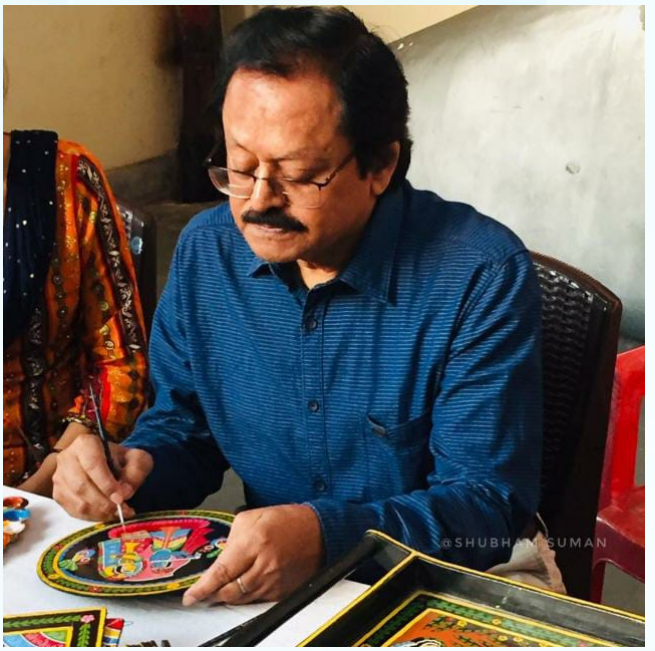

टिकुली का अर्थ होता बिन्दी। ये वही बिंदी है जिसे महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। कहा जाता है कि बिहार में टिकुली कला करीब 800 वर्ष पूर्व पटना में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत मौर्य काल के दौरान हुई थी। तब सोने और शीशे की मदद से बिंदी बनाई जाती थी। धीरे-धीरे समय बदला और इसका रूप बदलता चला गया।

21वीं शताब्दी में इस आर्ट को आधुनिक युग के अनुसार ढालने में अशोक कुमार विस्वास का बड़ा योगदान है। प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी ने स्थानीय कलाकारों की मदद से शीशे से उठाकर इसे लकड़ी पर शिफ्ट कर दिया और आज कपड़ों पर भी यह पेंटिंग बनाई जा रही है। अशोक कुमार विस्वासने इसे हर संभव बढ़ाने का प्रयास किया है। यही वजह है कि टिकुलिया की गुम होती विरासत को सहेजने का काम इन्होंने किया है। इन्हीं कार्यों को लेकर इस बार अशोक कुमार विस्वास को पद्मश्री से नवाजा गया है।

◉

पद्मश्री शांति देवी एवं शिवन पासवान

कला साधक दंपत्ति

बिषम सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से गुजरने वाले शिवन पासवान ने महज आठवीं तक की शिक्षा ली है लेकिन इनकी कलाकृतियों में कला आस्वादन और उनके निहितार्थ पारंपरिक कला की गहराई और उसके अप्रतिम सौंदर्यबोध को अभिव्यक्ति देते हैं। पूरे कैनवास का इस्तेमाल, गुनिया रेखांकन और प्राकृतिक रंगों का उम्दा इस्तेमाल इनकी कला में चार चाँद लगाते हैं। यह इनके अथक श्रम का ही नतीजा है कि पिछले डेढ़ दशक से मिथिला चित्रकला में सलहेस जैसे दलित देवताओं की मांग और प्रचलन बढ़ा है।

रामायण, महाभारत जैसे प्रसंग भी ये दक्षता के संग उकेरते हैं। दीवार को कैनवास बनाकर मिथिला चित्रकला बनाने में शिवन जी को महारत हासिल है। इनकी पत्नी शांति देवी भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार हैं। इस दंपत्ति ने मुख्यमंत्री आवास समेत कई वीवीआईपी जगहों पर अपनी कला की अजर-अमर छाप छोड़ी है। पुत्र भी इसी कला के साधक हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की कला संवर्धन मुहिम की योजना के तहत ये मिथिला आर्ट के प्रशिक्षक हैं। विशेष योगदान के लिए शिवन जी को चेतना समिति ने ताम्रपत्र, उद्योग विभाग ने अशोक चक्र (85-86) से इन्हें सम्मानित किया है।

मिथिला चित्रकला ने शांति देवी को दुर्दिन से सुदिन दिखलाया। आज वह इस चित्रकला में दुनिया की मशहूर कलाकार हैं। वर्ष 1984 की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। पति शिवन पासवान नेशनल अवार्डी हैं और दलित चित्रकला के सर्जक हैं। यह जोड़ी मिथिला चित्रकला को संरक्षित प्रोत्साहित और पुष्पित कर रही है। मधुबनी जिले के कपिलेश्वर के पास सीमा गांव में जन्मी शांति देवी जब आठ माह की थी तो पिता चल बसे। तब से संघर्ष और कठिन मेहनत इनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। मां ने मजदूरी कर इन्हें पाला-पोसा। भाई रूडी पासवान ने गोदना कला की सीख दी। लहेरियागंज के शिवन पासवान से शादी हुई। पति से शांति देवी ने मिथिला चित्रकला सीखी।

कठिन साधना का फल यह हुआ कि शांति देवी और उनके पति शिवन पासवान की कृतियों को दुनियाभर के लोगों ने हाथों-हाथ लिया बल्कि पुरस्कृत होने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी जारी है। सन् 1979 में राज्य पुरस्कार, 1994 में राष्ट्रीय ताम्रपत्र अवार्ड, दो साल बाद अशोक चक्र और 93' में चेतना समिति ने सम्मानित किया। शांति देवी को मिथिला चित्रकला को लेकर दुनियाभर के देशों में जाने का अनुभव सुखद और विशाल है। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ डेनमार्क गये प्रतिनिधिमंडल का वह हिस्सा बनीं और वहां के हैंडीक्राफ्ट फेयर में शामिल होने का गौरव मिला। 1995 से लेकर 2014 में आयोजित नमस्ते इंडिया को मिलाकर चार बार जापान गईं। जर्मनी और दुबई के साथ ही भारत के सभी प्रमुख शहरों में अपनी प्रदर्शनी लगा चुकी हैं। शांति देवी और इनके पति शिवन पासवान मिथिला चित्रकला और मिथिला क्षेत्र के गौरव हैं। मधुबनी के लहेरियागंज निवासी शिवन पासवान हस्तकला के क्षेत्र में हिन्दुस्तान की प्रमुख पहचानों में से एक हैं। बिहार की लोक कला और खासकर मिथिला पेंटिंग का परचम देश-दुनिया में बुलंद करने के लिए इनकी विशिष्ट पहचान है। मिथिला चित्रकला में दलित परंपरा के प्रतिष्ठाताओं में से एक हैं शिवन।

मिथिला चित्रकला में सार्थक हस्तक्षेप के लिए सन् 84-85 में राष्ट्रपति पुरस्कार और उसके पहले 1980-81 में राज्य पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। इटली, पेरिस, हांगकांग समेत भारत के दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरू, पटना सहित अन्य महानगरों में शिवन पासवान अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित कर कद्रदानों-विशेषज्ञों का दिल जीत चुके हैं। ◉

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

रेडिमेड वस्त्र निर्माण में बनायी पहचान

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लाभुक के रूप में रिंकू कुमारी ने न सिर्फ न अपने सच किए बल्कि कई दूसरी महिलाओं को रोजगार देकर उनकी पारिवारिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने में सफलता हासिल की। उनकी रेडिमेड गार्मेट इकाई में छह लोगों को काम मिला। उनके द्वारा बनाये गये प्रोडक्ट शेखपुरा सहित कई जिलों की दुकानों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

रिंकू कुमारी

शेखपुरा जिला के दीघा पर की निवासी रिंकू कुमारी ने पढ़ाई-लिखाई के दौरान ऊँचे ख्वाब पाले। बनी-बनायी राहों पर चलने की जगह जीवन में नयी राह बनाना उनकी चाहत रही। इसलिए उन्होंने घर पर बैठ कर रहना मंजूर नहीं किया और श्रृंगार के सामानों की एक छोटी सी दुकान खोलकर परिवार की मदद करने लगी। इस बीच उन्हें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा किया।

कम्प्यूटराईज्ड रैण्डमाईजेशन प्रणाली के माध्यम से उनका चयन लाभुक के रूप में हो गया जिसके बाद उन्होंने दो सप्ताह का उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षणोपरांत उन्होंने रेडिमेड वस्त्र निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाई ईशिका इन्टरप्राईजेज की स्थापना की। इस इकाई में उन्होंने खुद के अलावा छः दूसरे लोगों को भी काम दिया। मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देते हुए अपने प्रोडक्ट को शेखपुरा शहर के साथ-साथ आस-पास के दूसरे शहरों में भी भेजना प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी इकाई द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री बढ़ गयी और उनका विश्वास भी। निकट भविष्य में अपनी इकाई के विस्तार की आकांक्षी रिंकू कुमारी कहती हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ने उनके जीवन को बदल दिया है।

मैं अपने बिजनेस के प्रति सजग हूँ और अपने जीवन में खुश हूँ। मुझे उद्योग विभाग की योजना से ताकत मिली है जिसके लिए मैं उद्योग विभाग और बिहार के मुख्यमंत्री का आभारी हूँ।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

गेट-ग्रिल उद्योग लगाकर 15 लोगों को दिया रोजगार

उमेश कुमार ने नकारात्मक परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोया। आपदा की घड़ी में हिम्मत के साथ सकारात्मक काम किए और अपने स्वरोजगार को सही जानकारी, सहायता और रणनीति के साथ आगे बढ़ाया। अब वह अपनी इकाई को विस्तार देते हुए दो दर्जन लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया है।

उमेश कुमार

लॉकडाउन के समय नियोक्ता की औद्योगिक इकाई बंद हो गयी तो रोहतास जिला के उमेश कुमार बेरोजगार हो गये। कोविड प्रोटोकॉल की पालन की बाध्यता में घर आने को मजबूर हो गये। आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जीवनयापन के लिए उन्हें नए आयाम की तलाश थी। ऐसे में जब उन्हें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने आवेदन कर दिया। विभाग ने गेट-ग्रिल लगाने के लिए उन्हें चयनित किया। इससे उन्हें 10 लाख रूपये की सहायता मिली। उन्होंने मन लगाकर काम किया और गुणवत्ता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया।

अपनी इकाई का उद्यमी पंजीकरण कराया और जेड सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया। इससे पूरे सासाराम में उनकी विश्वसनीयता बढ़ गयी। कड़ी मेहनत और पूर्ण समर्पण के साथ काम करते हुए उन्होंने कारोबार को आगे बढ़ाया। अपने प्लांट में उन्होंने 06 कुशल श्रमिकों और 10 अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया।

अपनी इकाई को विस्तार देने के लिए उन्होंने बिसिको से 15 लाख रूपये का अल्पकालिक ऋण भी लिया और काम को आगे बढ़ाया। उमेश कुमार ने नकारात्मक परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोया। आपदा की घड़ी में हिम्मत के साथ सकारात्मक काम किए और अपने स्वरोजगार को सही जानकारी, सहायता और रणनीति के साथ आगे बढ़ाया। इससे अपने इलाके में वह उदाहरण के रूप में सामने आये हैं और दूसरे लोगों को उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

झाड़ू लगाने वाले हाथ, बनाने लगे झाड़ू

रानी देवी

अपना उद्योग शुरू कर रानी देवी ने सभी रूढ़िवादी धारणाओं को बदलते हुए अपने गाँव एवं अपने आसपास के कई गाँवों की अनेक महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है।

शादी किसी भी तरह आपके सपनों या करियर का अंत नहीं होता है। किशनगंज की रानी देवी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण हैं। अपने गाँव की महिलाओं के बीच भले अब वह एक लोकप्रिय नाम है, लेकिन उन्हें सशक्तिकरण के रास्ते पर कठिनाइयों और संघर्षों के अपने हिस्से का सामना करना पड़ा है। रानी की शादी ऐसे गाँव में हुई, जहाँ अशिक्षित होने के अलावा, महिलाओं को नौकरी या उद्योग सोचने तक की इजाजत नहीं थी। घर की सफाई और किचन की देखभाल ही महिलाओं का लक्ष्य होता। रानी ने आसपास के हालातों को देखकर हालातों से समझौता करने के बजाए अपने जीवन को बदलने की ठानी।

रानी को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व की जानकारी कॉलेज से ही थी। इसी विचार पर काम करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाने और अपने ससुराल वालों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उद्योग शुरू करने का फैसला किया। उन्हें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने आवेदन किया और उनका चयन लाभुक के रूप में हो गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 10 लाख रू. की राशि की सहायता से उन्होंने झाड़ू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। अपनी इकाई में उन्होंने 20 और लोगों को रोजगार देने का काम किया। कड़ी मेहनत और अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उनका सालाना टर्नओवर बढ़ता चला गया। आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सालाना टर्नओवर 49 लाख रुपये है।

रानी का कहना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आज मैं अपनी क्षमता और समझ के अनुसार झाड़ू बना कर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। पहले जो महिलाएँ झाड़ू-बुहारू का काम करती थीं, अब वह झाड़ू बनाकर आत्मनिर्भर बनी हैं। यह घर पर बैठने से कई गुणा बेहतर है। आज मेरे पति, ससुराल वाले और आसपास के लोग मेरी सक्रियता और उद्यमिता का उदाहरण देते हैं। इसके लिए मैं अपने परिवार और उद्योग विभाग का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे आत्मनिर्भर बनने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।

अपना उद्योग शुरू कर इन सभी रूढ़िवादी धारणाओं को बदलते हुए रानी ने अपने साथ अपने आसपास की कई महिलाओं व पुरुषों के जीवन को नया रूप दिया है। ◉

14 मेलों के आयोजन से खादी संस्थाओं को मिला बेहतर बाजार

खादी एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग योजना संचालित की जाती है जिसका एक प्रमुख अवयव खादी मेला तथा प्रदर्शनी का आयोजन भी है। मुख्यमंत्री उद्यमी सह खादी मेला के माध्यम से राज्य की खादी संस्थाओं एवं समितियों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कुटीर एवं लघु उद्योगों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की लाभुक इकाइयों को बाजार मुहैया कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बोर्ड द्वारा कुल 14 स्थानों पर खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया जिसका पूरा विवरण इस प्रकार है -

आयोजन स्थल	समयावधि	कुल बिक्री
आर0 डी0 एस0 कॉलेज, मुजफ्फरपुर	08 जून से 17 जून, 2023 तक	4336306.00
कचहरी मैदान, हाजीपुर	23 जून से 02 जुलाई, 2023 तक	4402345.00
रेशम भवन, भागलपुर	07 जुलाई से 16 जुलाई, 2023 तक	5738000.00
मलमास मेला, राजगीर	18 जुलाई से 17 अगस्त, 2023 तक	6253083.00
जगजीवन स्टेडियम, भभूआ, कैमूर	29 सितम्बर से 08 अक्टूबर, 2023 तक	3270303.00
किला मैदान, बक्सर	10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, 2023 तक	6240430.00
पोलो मैदान, लहेरियासराय, दरभंगा	01 नवम्बर से 10 नवम्बर, 2023 तक	7253381.00
गाँधी मैदान, गया	24 नवम्बर से 03 दिसम्बर, 2023 तक	6670471.00
हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर	25 नवम्बर से 25 दिसम्बर, 2023 तक	2962066.00
रंगभूमि मैदान, पूर्णियाँ	15 दिसम्बर से 25 दिसम्बर, 2023 तक	8916757.00
पटेल मैदान, सहरसा	04 जनवरी से 13 जनवरी, 2024 तक	11501700.00
टाऊन हॉल, मधुबनी	27 जनवरी से 05 फरवरी, 2024 तक	5708900.00
सैंडिस मैदान, भागलपुर	06 फरवरी से 18 फरवरी, 2024 तक	10846990.00
गाँधी मैदान, सीवान	19 फरवरी से 28 फरवरी, 2024 तक	
	कुल -	84100732.00

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित किये गये 14 मेलों में 8.41 करोड़ रूपये मूल्य से अधिक के खादी एवं ग्रामीण उत्पादों की बिक्री हुई। इससे खादी संस्थाओं को ताकत तो मिली हीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभुकों को भी ग्राहकों से सीधा संवाद करने और अपने उत्पादों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्राप्त हुआ।

फरवरी, 2024 में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी मेला सह मुख्यमंत्री उद्यमी बाजार का आयोजन भागलपुर और सिवान में किया गया। भागलपुर मेला का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि हमसब मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लें कि कम से कम खादी का एक वस्त्र हर घर में हो ताकि राज्य के हजारों बुनकरों एवं युवाओं को रोजगार मिल सके।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीवान के गाँधी मैदान में दस दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार के उद्घाटन के अवसर पर सीवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि खादी हमारे देश की विशिष्ट पहचान है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए हर घर चरखा चलाये जाने की योजना बनायी गयी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी खादी और कुटीर उद्योगों में बने उत्पादों को प्रयोग में लाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना बनायी गयी है जिसके तहत चिह्नित गरीब परिवारों को दो लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

◉

फोटो गैलरी

नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स्ट आयोजन में निवेशकों को बिहार राज्य में टेक्स्टाइल सेक्टर में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।

सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, बिहटा में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों की इकाईयों को टीटी कम्पनी के साथ जोड़ने का प्रयास जारी है। ताकि इन्हें उत्पादन एवं मार्केटिंग में सहयोग प्राप्त हो सके।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बिहार खादी, हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेस्डर मैथिली ठाकुर।

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

दूसरी मंजिल, विकास भवन, पटना, www.industries.bih.nic.in | www.udyog.bihar.gov.in

टॉल फ्री नं : 1800 345 6214

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के द्वारा प्रकाशित एवं ज्ञान गंगा क्रियेशन्स, पटना द्वारा मुद्रित
वर्ष 6, अंक–15, जनवरी–मार्च, 2024 ● संपादक : दिलीप कुमार